प्रेस नोट ***दिनांक 09.04.2026***

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तीन शातिर अन्तर्राज्यीय चोर गिरफ्तार किया, कब्जे से कुल तीन अदद चोरी के मोबाइल फोन व चोरी के मोबाइल की बिक्री के प्राप्त एक लाख दस हजार रूपये नगद बरामद–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा दिनांक 01.04.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अली बिल्डींग स्थित बालाजी टेलीकाम नामक मोबाइल की दुकान में सैकड़ों मोबाइल फोन की चोरी के घटना में शामिल अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी तथा चोरी गये मोबाइलों की बरामदगी करते हुए घटना का त्वरित एवं सफल अनावरण सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा था । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मऊ श्री कृश राजपूत के सहयोग व निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस , स्वाट / एसओजी व सर्विलांस टीम की कुल तीन टीमें गठित कर सतत सुरागरसी पतारसी किया जा रहा था । उक्त के क्रम में गठित टीम से प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मऊ द्वारा स्वाट / एसओजी एवम् सर्विलांस टीम के सहयोग से लगातार सक्रिय रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, संभावित स्थानों पर निगरानी तथा मुखबिर तंत्र के माध्यम से चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी। अभियान में विभिन्न स्थानों के करीब 103 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात अभियुक्त की पहचान होने पर मुखबिर खास मामूर किया गया था । दिनांक 08.03.2026 को प्राप्त मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन के पास कार पार्किंग के पीछे सूनसान स्थान पर खड़े तीन संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया , पूछताछ में अभियुक्तगण ने अपना नाम क्रमशः 1. गौरीशंकर राजभर पुत्र स्व0 केदार राजभर निवासी ग्राम कठउत पोस्ट गौसपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 47 वर्ष, 2. अब्दुल हाय पुत्र अबुजार शेख निवासी बोलटोला पोस्ट पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज (झारखण्ड) उम्र करीब 24 वर्ष , 3. समीम अख्तर उर्फ राकेश पुत्र रईसुद्दीन शेख निवासी रामरामपुर थाना फरक्का जनपद मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) उम्र करीब 28 वर्ष बताया जिनकी जामा तलाशी में बालाजी टेलीकाम से चोरी किये गये कुल तीन अदद रेडमी कम्पनी के मोबाइल फोन व चोरी किये मोबाइलों के बिक्री किये हुए कुल एक लाख दस हजार रूपये नगद व चोरी गये मोबाइल फोन के 8 अदद खाली डिब्बे जो इन्होंने चोरी के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर चाय की दुकान के पीछे झाड़ियों में फेंक दिये थे उनकी निशानदेही पर बरामद हुए । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 98/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/111(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>अपराध का तरीका -</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण से एक साथ व अलग अलग पूछताछ की गयी तो पाया गया कि –

अभियुक्त (1) आलम शेख पुत्र मन्टू शेख निवासी अजरुद्दीन टोला पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज झारखण्ड, (2) लिली बीबी पत्नी आलम शेख निवासी अजरुद्दीन टोला पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज झारखण्ड, (3) अब्दुल हाय पुत्र अबुजार शेख निवासी बोलटोला पोस्ट पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज झारखण्ड, (4) मासूमा खातून पत्नी ब्दुल हाय निवासी बोलटोला पोस्ट पीयरपुर थाना राधानगर, साहिबगंज (झारखण्ड) , (5) शमीम अख्तर उर्फ राकेश पुत्र रईसुद्दीन शेख निवासी रामरामपुर थाना फरक्का, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) , तथा (6) गौरीशंकर राजभर पुत्र स्व0 केदार राजभर निवासी ग्राम कठउत पोस्ट गौसपुर थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर ये सभी एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं, जिसका सरगना आलम शेख पुत्र मन्टू शेख निवासी अजरुद्दीन टोला पीयरपुर थाना राधानगर जनपद साहिबगंज (झारखण्ड) है। ये लोग सुनियोजित तरीके से पहले लक्ष्य स्थल की रेकी करते हैं, फिर किराये के कमरों/सार्वजनिक स्थानों पर रुककर योजना बनाते हैं तथा अवसर पाकर चोरी/सेंधमारी की घटना को अंजाम देते हैं।

अभियुक्त गौरीशंकर राजभर की बहन बीमार थी, जिसका इलाज वह मऊ स्थित मंगलम हॉस्पिटल में करा रहा था, जिसमें काफी धन खर्च हुआ था। पूर्व में वह एक अन्य मुकदमे में गाजीपुर जेल में बन्द था, जहां उसकी मुलाकात पहले से बन्द आलम शेख से हुई और वहीं दोनों में मित्रता हो गयी। जेल से छूटने के बाद

गौरीशंकर, आलम शेख के सम्पर्क में आकर उसके गिरोह में शामिल हो गया तथा अन्य पुराने साथियों से भी जुड़कर लगातार छिप-छिपकर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने लगा। आलम शेख द्वारा बड़े काम के बदले अधिक हिस्सेदारी का लालच दिया गया, जिस पर गौरीशंकर द्वारा मऊ में रेकी कर अली बिल्डिंग के सामने स्थित बालाजी टेलीकाम दुकान को चिन्हित किया गया, क्योंकि उसके पीछे खाली व सुनसान स्थान था। दिनांक 30.03.2026 को पूर्व योजना के अनुसार गिरोह के सभी सदस्य (पुरुष व महिलाएं) ट्रेन / बस से मऊ आये और दिन में उक्त दुकान की पुनः रेकी की। उसी रात सभी लोग स्टेशन के बाहर ही अलग-अलग स्थानों पर रुककर पूरी योजना को अंतिम रूप दिया। दिनांक 31.03.2026 की रात्रि में अभियुक्त आलम शेख, शमीम अख्तर व अब्दुल हाय द्वारा अपने साथ लाये कटर, ग्राइंडर व रम्मा से दुकान की पिछली दीवार में सेंधमारी की गयी, जबकि गौरीशंकर राजभर व महिलाएं लिली बीबी व मासूमा खातून बाहर निगरानी करते रहे। कार्य पूर्ण न होने पर दीवार को बैनर/साइनबोर्ड से ढक दिया गया तथा सभी लोग यात्रियों के रूप में स्टेशन के पास अलग-अलग बैठ गये। दिनांक 01.04.2026 की सुबह अभियुक्तगण में से पुरुष सदस्यगण रोडवेज के पास स्थित विजय प्लाजा होटल में ठहरे, जबकि महिलाओं को पुनः रेकी व निगरानी के लिए लगा दिया गया। उसी रात पुनः योजना के अनुसार आलम शेख, शमीम अख्तर व अब्दुल हाय द्वारा दीवार को पूरी तरह काटकर दुकान में प्रवेश किया गया, सीसीटीवी केबिल काट दी गयी तथा दुकान में रखे नये मोबाइल फोन चोरी कर तीन बैगों में भर लिये गये। इस दौरान गौरीशंकर राजभर व महिलाएं लिली बीबी व मासूमा खातून बाहर निगरानी करने के बाद पूर्व निर्धारित स्थान पर स्टेशन के पास एकत्र हुए। घटना के पश्चात सभी अभियुक्तगण स्टेशन के पास मिले, जहां कुछ मोबाइल जो जल्दीबाजी में डिब्बे के साथ आ गये थे के डिब्बे हटाकर झाड़ियों में फेंक दिये गये व मोबाइलों को बैग में डाल दिया गया था। इसके बाद सभी लोग बस द्वारा मऊ से जमनिया होते हुए दिलदारनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां पर ब्रह्मपुत्र मेल से बरहरवा जाना था पर पुलिस चेकिंग के दौरान घबराहट में गौरीशंकर राजभर और अब्दुल हाय अपने अपने बैग छोड़कर भाग गये, जिसमें से एक बैग आलम शेख उठाकर ट्रेन में चढ़ गया और दूसरा अभियुक्त शमीम अख्तर उर्फ राकेश अपने बैग जिसमें मोबाइल था के साथ ट्रेन में चढ़ गया था महिलायें खाली हाथ गईं । चोरी के मोबाइलों से भरा एक बैग प्लेटफार्म पर ही छूट गया।
पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी किये गये मोबाइलों का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल में औने-पौने दाम पर बेच दिया गया, जिससे प्राप्त धनराशि लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये हुई, जिसे आपस में बांट लिया गया तथा कुछ खर्च कर दिया गया। शेष दो बैग मोबाइल को सरगना आलम शेख द्वारा मालदा पश्चिम बंगाल निवासी एक दलाल शमीम के माध्यम से बांग्लादेश भेजकर बिकवाये जाते हैं। प्राप्त धनराशि सीधे आलम शेख द्वारा अपने खातों में न लेकर विभिन्न माध्यमों से अपने गिरोह के सदस्यों के खाते विशेषकर गौरीशंकर राजभर के खाते में पहुंचायी जाती है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u> –

1. गौरीशंकर राजभर पुत्र स्व0 केदार राजभर निवासी ग्राम कठउत पोस्ट गौसपुर थाना मोहम्मदाबाद, गाजीपुर
2. अब्दुल हाय पुत्र अबुजार शेख निवासी बोलटोला पोस्ट पीयरपुर थाना राधानगर, साहिबगंज (झारखण्ड)
3. शमीम अख्तर उर्फ राकेश पुत्र रईसुद्दीन शेख निवासी रामरामपुर थाना फरक्का, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)

<u>बरामदगी का विवरण</u> -

1. चोरी के तीन अदद रेडमी कम्पनी के टच स्क्रीन मोबाइल फोन
2. चोरी के मोबाइलों की बिक्री से प्राप्त हिस्से के कुल रूपये 1,10,000/- (एक लाख दस हजार रूपये मात्र)
3. 08 अदद मोबाइल के खाली डिब्बे, अभियुक्तों के व्यक्तिगत मोबाइल फोन, पर्स, आधार कार्ड [रेडक्टेड] व अन्य सामग्री

<u>गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान</u> –

दिनांक – 08.04.2026

समय – 18.25 बजे

स्थान – मऊ रेलवे स्टेशन के पास थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरी शंकर राजभर</u> –

1. मु0अ0सं0 378/20, धारा 406/506 भा.दं.वि. थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 262/22 धारा 302/201 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 98/2026 धारा 331(4)/305(a)/317(2)/111(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

नोट – अभियुक्तगण अब्दुल हाय और शमीम अख्तर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों में गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं जिनकी जानकारी की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 09.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस एवं जनपद के समस्त थानो द्वारा संयुक्त रूप से वाहन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना वैध कागजात, नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चेकिंग की गयी।

अभियान के अंतर्गत 41 टीम गठित कर जनपद के 43 स्थानों पर कुल 816 वाहनो को चेक किया गया जिसमें कुल 863 लोगो को चेक किया गया इस दौरान 449 वाहनों का चालान एवं 05 वाहन सीज किया गया तथा हिदायत दी गयी साथ ही यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 09.04.2026 को आज सुबह थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत रणवीरपुर गांव के एक खेत में व्यक्ति का शव मिला मौके पर पुलिस व फील्ड यूनिट तथा उच्चाधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया मृतक की पहचान शिवंम सिह पुत्र संजय सिंह हथौटा थाना जहानाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष के रुप मे हुई मृतक ग्राम कन्धेरी में सिक्यूरिटी गार्ड का काम करता था मृतक के सिर में किसी भारी बस्तु से वार किया गया था अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 9.04.2026 को जिलाधिकारी मऊ एवं पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में मिशन शक्ति टीम के समस्त सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं जागरूकता से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

- इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बालिका को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया, जिससे उसे प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। बालिका ने उत्साहपूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।
- कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को लैपटॉप का वितरण भी किया गया, जिससे उन्हें शिक्षा एवं तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा महिला आरक्षियों को भी पुरस्कृत किया गया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मऊ ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस दिशा में सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं मिशन शक्ति टीम के सदस्य,बैक कर्मी, स्वास्थ कर्मी व अन्य कर्मी उपस्थित रहे।

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 8188/- (आठ एक सौ अठ्ठासी र) रुपये थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना घोसी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 8188 /- (आठ हजार एक सौ अठ्ठासी) रुयपये पीडित बबलू यादव पुत्र जलेश्वर यादव निवासी मानिकपुर थाना घोसी जनपद मऊ की कुल 8188 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना घोसी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।